



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26898 / 2026

भीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एन. के. शर्मा को सुना गया।
2. विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 417 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 305, 317(2), 331(4), 111(4), 111(6), थाना गोला, जनपद गोरखपुर से संबंधित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 272 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 305, 331(4), 317(2), 111(4), 111(6), 111(7), 62(2), 317(4) तथा मुकदमा अपराध अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 325 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 303(2), 331(4), 317(2), 111(4), 111(6), 111(7), 62(2), 317(4) में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान मामले में उसे झूठा फँसाया गया है। पुलिस अभिरक्षा में आवेदक द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक अथवा अपराध में प्रयुक्त वस्तु बरामद नहीं हुई है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त इरफान, तौफीक उर्फ चाँद अली तथा मुकेश उर्फ खुदबुद को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9909 / 2026 तथा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17298 / 2026 में पारित दिनांक 24.03.2026 तथा 04.06.2026 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः आवेदक समानता के आधार पर जमानत का दावा करता है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण शपथपत्र के पैरा 17 में किया गया है। आवेदक दिनांक 10.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 272 / 2025 तथा 325 / 2025 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान मामले में उसे अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अभिरक्षा में आवेदक द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक अथवा अपराध से संबंधित वस्तु बरामद नहीं की गई है।

6. जहाँ तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का संबंध है, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक जांच में किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है अथवा जांच को अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है या यह कि वह विचारण से पूर्व अथवा विचारण के दौरान गवाहों को भयभीत कर सकता है। राज्य ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया था। इस न्यायालय की राय अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत पाने का अधिकारी पाया जाता है, तो केवल उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने से इंकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है। अतः न्यायालय को केवल इस आधार पर कि आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत्त है, उसे जमानत देने से इंकार करना उचित नहीं लगता।

7. अश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की है :-

“हम शीघ्रता से यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम यह कहते हैं कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, तो इसका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि आदतन अपराधी कभी भी जमानत पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। किंतु, जिस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है।”

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदक दस महीने से अधिक समय से निरुद्ध है। विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

10. अतः उपर्युक्त मामले में अभियुक्त भीम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो सुदृढ़/भारी जमानतदार, प्रत्येक समान धनराशि के, प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आपराधिक इतिहास को देखते हुए दो सुदृढ़ जमानतदार प्रस्तुत किए जाएंगे :-

(i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

04 अगस्त, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।